न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/181

1. रामपाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी विनायका ।
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी विनायका ।
3. रामदयाल पुत्र मोहनीबाई जाति बैरवा निवासी निमोला ।
4. गुड्डी बाई पुत्री मोहनी बाई जाति बैरवा निवासी निमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. गोबरी बाई पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवी उदयपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   5/1. रामगोपाल पति
   5/2. देवपाल पुत्र आत्मज रामगोपाल जाति बैरवा निवासीगण उदयपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. चमेली पत्नी जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
7. अनिल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
8. सुनील पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
9. शानू पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
10. राजकन्ता पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
11. ज्योति पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी विनायका ।
12. बद्री पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी विनायका ।
13. राधेश्याम पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी विनायका ।
14. लटूरी पुत्री औंकार जाति बैरवा निवासी विनायका ।
15. प्रभू पुत्र हीरिया जाति बैरवा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
16. कल्याण पुत्र गणपत जाति बैरवा निवासी ग्राम विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
17. बिनु कुमार पुत्र अनोख जाति बैरवा निवासी रामपुरिया (रजोपा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
18. कमलेश पुत्री अनोख जाति बैरवा निवासी रामपुरिया (रजोपा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
19. गीता पुत्री गणपत जाति बैरवा निवासी रामपुरिया (रजोपा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायक तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री संजय पाटौदी अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महावीर प्रसाद बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 25.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 160 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट से पूव्र प्रार्थीगण के पिता एंव दादा हीरा उर्फ हिरिया पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी विनायका के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 257 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.55 हैक्टर, खरा नम्बर 316 रकबा 0.86 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 4.01 हैक्टर कायम किये गये । अप्रार्थी कम 1 लटूर लाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा के पिता मांग्या पुत्र पेमा के खातेदारी में सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम नलावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 328 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 450 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 05 बीघा कुल किता 05 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा दर्ज है जो खेडली महाराजा एवं नलावता दोनों गॉवों की सीमा मिली हुई है । उक्त स्थान पर दोनों ग्रामों का कांकड है । उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 88 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 766 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.43 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 3.98 हैक्टर कायम किये गये । अप्रार्थी कम 01 लटूर लाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति बैरवा निवासी विनायका के खाते में खसरा नम्बर 526 रकबा 05 बीघा भूमि थी जो सेटलमेंट ने बढाकर खसरा नम्बर 526 के नये खसरा नम्बर 762 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0. 43 हैक्टर कर दिया और सेटलमेंट ने जो नये खसरा नम्बर बनाये उसमें अप्रार्थीगण कम 01 लटूर लाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल के खाते में रकबा बढाते हुए तीन खसरा नम्बर का रकबा 1.91 हैक्टर कर दिया जो 12 बीघा के लगभग है । जबकि पहले खसरा नम्बर 526 में 05 बीघा ही था इस प्रकार 07 बीघा बढाया गया । खसरा नम्बर 526 में से अप्रार्थीगण कम 01 जो नये

खसरा नम्बर व रकबा दर्ज किया करीबन 07 बीघा ज्यादा दर्ज किया व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व पैतृक भूमि है जो अप्रार्थीगण कम 01 के खाते के खसरा नम्बर 762, 763, 767 में मिला दिया गया रकबा रिकॉर्ड में बढा हुआ रकबा है जो प्रार्थीगण के खाते से घटा कर बढाया गया है जो आज भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 525 का भी रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा था जो अब नये खरा नम्बर 766 बनाकर 1.68 हैक्टर कर दिया है जो 10 बीघा 05 बिस्वा है इसमें भी 02 बीघा के लगभग ज्यादा बढा दिया गया है इस प्रकार कुल रकबा 09 बीघा से ज्यादा बढा दिया गया है जिसका सेटलमेंट को बढाने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण कम 1व 2 मिलीभग कर सेटलमेंट विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से बढाये गये रकबे की आड में प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित को हडपने पर आमादा हैं और अप्रार्थीगण कम 02 अप्रार्थीगण कम 01 को बढे हुए रकबे के आधार पर पैमाईश कर कब्जा दिलाने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 में सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के खातेदारी में कुल किता 05 की रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसको खसरा नम्बर 166 का रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा था जिसको पुनः रकबा दुरूस्ती कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 269 व 270 का रकबा 0.97 हैक्टर व 039 हैक्टर दोनों रकबा 1.36 हैक्टर के स्थान पर 2.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 167 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा था जिसके नये खसरा नम्बर 271 रकबा 0.84 हैक्टर कर दिया जिसके स्थान पर 0.92 हैक्टर दर्ज किया जावे । खसरा नम्बर 168 का रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा था जिसके स्थान पर नये खसरा नम्बर 273 रकबा रकबा 0.55 हैक्टर दर्ज कर दिया जो पुनः 0.93 हैक्टर दर्ज किया जावे व खसरा नम्बर 187 में भी सेटलमेंट पूर्व रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा था जिसमें नये खसरा नम्बर 316 में घटाकर 0.86 हैक्टर कर दिया जिसको 1.08 हैक्टर किया जावे । इस प्रकार सभी खसरा नम्बर में रकबा बढाकर 5.76 हैक्टर पूर्व रकबे के मुकाबले दर्ज किये जाने तक रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे ।

4. अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2022 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी गत खसरा नम्बर 160 की रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 की रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 की रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 की 05 बीघा 13 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 36 बीघा

03 बिस्वा भूमि ग्राम खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित थी जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 257 की 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 की रकबा 9.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 की रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 की रकबा 0.55 हैक्टर व खसरा नम्बर 316 की रकबा 0.86 हैक्टर कुल 06 किता की रकबा 4.01 हैक्टर कायम किया गया जो पूर्व रकबे से लगभग 10 बीघा 02 बिस्वा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तौर पर कम कर दी गई जबकि मौके पर उक्त पूर्व रकबे अनुसार पूर्ण है तथा अपीलान्ट पूर्व की भांति काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी गत खसरा नम्बर 160 की रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 की रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 की रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 की 05 बीघा 13 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि ग्राम खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित थी जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 257 की 0. 40 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 की रकबा 9.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 की रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 की रकबा 0.55 हैक्टर व खसरा नम्बर 316 की रकबा 0.86 हैक्टर कुल 06 किता की रकबा 4.01 हैक्टर कायम किया गया जो पूर्व रकबे से लगभग 10 बीघा 02 बिस्वा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तौर पर कम कर दी गई जबकि मौके पर उक्त पूर्व रकबे अनुसार पूर्ण है तथा अपीलान्ट पूर्व की भांति काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार अपीलान्टगण की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था, जबकि मौके पर पूर्व की भांति पूरी भूमि मौजूद है जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खातेदारी में ग्राम नलावता तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर पुराने 450, 452, 526 मिन, 526 मीन, 525 व 526 मिन कुल 05 किता की रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 88, 762, 753, 766, 767 कुल 05 किता की 3.98 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई जो कि पूर्व रकबे से लगभग 10 बीघा 10 बिस्वा अधिक है । इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत बनाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खाते दर्ज कर दी गई है । उक्त भूमि ग्राम नलावता तहसील पीपल्दा में स्थित है । अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ग्राम खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि ग्राम नलावता में है लेकिन दोनों ग्रामों के कांकड मिले हुए हैं और कांकड मिले हुए होने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में अपीलान्ट के खाते की भूमि जो कि दूसरे ग्राम खेडली महाराज में स्थित है पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र को राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खाते की भूमि अलग–अलग गाँव में स्थित है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पिता मान्या पुत्र मेघा के साबिक खसरा नम्बर की आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 450 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 05 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 88, 783, 786, 787 कायम किये गये हैं जो रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खातेदारी में दर्ज हैं । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट के खाते की भूमि ग्राम खेडली महाराजा व नलावता के कांकड के पास स्थित है जबकि ग्राम नलावता के साबिक खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस व नवीन खसरा नम्बरान के नक्शा ट्रेस में ग्राम नलावता के लगावा नक्शा ट्रेस में कहीं भी ग्राम खेडली महाराजा की सीमा को नहीं दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ही खारिज किया है मूल वाद का निस्तारण होना शेष है । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज कर दिया ।

11. अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 09 में अंकित किया है कि वादी क्रम 05 गोबरी बाई का निधन फैसले की दिनांक के पूर्व ही हो गया था फिर भी मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यालय में वादी क्रम 05 गोबरी बाई की मृत्यु होने जाने पर उनके कायमुकाम को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है ।

12. पत्रावली में उपलब्ध ग्राम खेडली महाराजा की जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के अनुसार खसरा नम्बर 160 की रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 की 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 की 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 की 05 बीघा 13 बिस्वा व खसरा

नम्बर 187 की रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थीगण के दादा हीरा उर्फ हिरिया पुत्र अमरा बैरवा के खातेदारी में दर्ज है तथा ग्राम नलावता की जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के अनुसार खसरा नम्बर 328 की 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 की 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 की 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 525 की रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 की रकबा 05 बीघा कुल किता 05 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा भूमि अप्रार्थी लटूर लाल के पिता मांग्या पुत्र पेमा बैरवा के खातेदारी में दर्ज है । उक्त दोनों ग्राम की आराजी दोनों ग्राम की सीमा के मध्य कांकड से लगती हुई है । प्रार्थी के कथनानुसार गत खसरा नम्बर 526 रकबा 05 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 762 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.43 हैक्टर बने हैं जिनका कुल रकबा गत रकबे के मुकाबले 06 बीघा 15 बिस्वा अधिक दर्ज हो गया है जिस पर आज भी प्रार्थीगण अपीलान्ट काबिज है । प्रार्थी के उक्त कथन की संलग्न मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041 से 2060 से प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 में अंकित एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खाते की भूमि अलग–अलग गॉव में स्थित है । रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता मांग्या पुत्र पेमा के साबिक खसरा नम्बर की आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 450 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 525 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 05 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 88, 763, 766, 767 कायम किये गये हैं जो रेस्पोडेन्ट कम 01 के खातेदारी में दर्ज हैं । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट के खाते की भूमि ग्राम खेडली महाराजा व नलावता के काकंड के पास स्थित है जबकि पत्रावली में संलग्न ग्राम नलावता के साबिक खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस व नवीन खसरा नम्बरान के नक्शा ट्रेस में ग्राम नलावता के लगवा नक्शा ट्रेस में कहीं भी ग्राम खेडली महाराजा की सीमा को नहीं दर्शाया गया है । हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न ग्राम खेडली महाराजा एवं ग्राम नलावता की उक्त विवादित आराजी के भू–प्रबन्ध पूर्व के साबिक नक्शा ट्रेस एवं भू–प्रबन्ध बाद के संलग्न नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया जिसमें दोनों ग्राम के मध्य (कांकड) में स्थित उक्त विवादित आराजी के खेत दृष्टिगत हैं तथा साबिक व हाल नक्शों में दोनों ग्राम की कांकड पर स्थित विवादित आराजी के खेतों में भिन्नता प्रतीत होती है । अतः रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा किये गये कथनानुसार ग्राम के मध्य की सीमा दर्शित नहीं होने सम्बन्धी बिन्दु की मुताबिक रिकॉर्ड पुष्टि नहीं होती है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में होना प्रतीत होता है परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान दो ग्रामों के कुल चक में से आराजी क्षेत्रफल के अंतर के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा साबिक व हाल रिकॉर्ड तथा मौका अनुसार कब्जा काश्त के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । यदि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी को दौराने वाद आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी अपीलान्ट को होगी । पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के अभाव में इस स्तर पर रिकॉर्ड एवं मौके की स्पष्ट स्थिति प्रकट नहीं हो रही है, नक्शे व रिकॉर्ड तथा मौके की स्पष्ट स्थिति मूल वाद में साक्ष्य आदि के आधार पर गुणावगुण पर विवेचन के बाद तय होगी । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को संरक्षित करना उचित होगा । अतः प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा